फाईल नं0-23-9002(002)/9/2022
संख्या-186/2022/आई0/1685/23-9-2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2022**

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-27 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 35 लघु सेतु परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/166/राज्य परियोजना विभाग/आर0आई0डी0एफ0-04/RIDF-XXVIII/2022-23, दिनांक 01.12.2022, मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-17/नाबार्ड(वर्ष 2022-23)/बी0एम0सी0/2022, दिनांक 19.04.2022 एवं मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0 के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 35 लघु सेतु परियोजनाओं, कुल लागत रू0 65,45,72,000/- (रूपये पैसठ करोड़ पैतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 39,78,00,000/-(रूपये उन्तालीस करोड़ अट्ठहत्तर लाख मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 3134.28 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 843.72 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में) एवं स्पान विवरण	लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	882, दि0 28.02.2022	बलिया	जनपद बलिया में पाण्डेयपुर एवं मोतिरा के बीच नाले पर पुलिया के निर्माण का कार्य।	29.00	173.06	109.08	29.37	138.45
2	885, दि0 28.02.2022	बलिया	जनपद बलिया में गायघाट के पास पुलिया एवं एप्रोच के निर्माण का कार्य।	17.40	119.77	75.50	20.32	95.82
3	883, दि0 28.02.2022	बलिया	जनपद बलिया में बी0एस0 टी0 बंधा नवानगर वाजिदपुर के सामने पुलिया के निर्माण का कार्य।	29.00	170.96	107.76	29.01	136.77
4	152, दि0 28.02.2022	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में एका पाढ़म मार्ग से जोधपुर मार्ग के बीच अरिन्द नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य	13.35	74.71	47.09	12.68	59.77
5	798, दि0	सीतापुर	जनपद सीतापुर लोधनपुरवा सम्पर्क मार्ग	13.80	77.60	48.91	13.17	62.08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में) एवं स्पान विवरण	लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03.03.2022		के किमी0 -1 में 2X6 मी0 स्पान की आर0 सी0 सी0 पुलिया के निर्माण कार्य।					
6	789, दि0 28.02.2022	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में ग्राम लुधौरा एवं अंजना भैरों के मध्य ससुर खदेरी नदी पर 5X6 मी 0 स्पान के लघु सेतु , पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	32.80	375.17	147.80	39.79	187.59
7	897, दि0 03.03.2022	जौनपुर	जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में डेहुड़ा एवं भुला के मध्य पीली नदी पर क्षतिग्रस्त रपटा के स्थान पर लघु सेतु के निर्माण कार्य।	36.00	479.12	188.75	50.81	239.56
8	898, दि0 03.03.2022	जौनपुर	जनपद जौनपुर में चौकिया-आरा एवं बड़गहन- बर्रा मार्ग के मध्य गांगी नदी पर लघु सेतु , पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	12.00	234.44	92.36	24.86	117.22
9	893, दि0 03.03.2022	श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में केरवनिया रामनगर के दक्षिण भंगही नाले पर 5X6 मी 0 स्पान का आर 0 सी 0 सी 0 लघु सेतु के निर्माण कार्य।	32.70	261.20	102.90	27.70	130.60
10	891, दि0 03.03.2022	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड-सूरतगंज में हेतमापुर सूरतगंज सुढ़ियामऊ सिहाली मार्ग के किमी 0-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया एवं रोड कटिंग के स्थान पर 3X6 मी 0 स्पान आर 0 सी 0 सी 0 बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	20.88	119.39	75.25	20.26	95.51
11	884, दि0 28.02.2022	बलिया	जनपद बलिया में नवका बस्ती के पास नाले पर पुलिया के निर्माण कार्य।	29.00	186.99	117.86	31.73	149.59
12	144, दि0 28.02.2022	मेरठ	जनपद मेरठ में भटीपुरा नगलामल मिल मार्ग से नगलामल छोईया पुल तक सम्पर्क मार्ग पर बने सकरे व अति क्षतिग्रस्त लघु सेतु के पुनर्निर्माण का कार्य।	17.48	120.02	75.65	20.37	96.02
13	880, दि0 28.02.2022	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में भौवापार मलौली तटबन्ध से बेनुआटीकर कतरारी सम्पर्क मार्ग पर 3X15 मी 0 स्पान का आर 0 सी 0 सी 0 लघु सेतु , पहुंच मार्ग , अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	45.00	303.43	119.54	32.18	151.72
14	892, दि0 03.03.2022	बलरामपुर	जनपद बलरामपुर में बरायल फतेहपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0- 3 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान	13.35	86.99	54.83	14.76	69.59

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में) एवं स्पान विवरण	लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			पर 2X6 मी 0 आर 0 सी 0 सी 0 बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।					
15	899, दि0 03.03.2022	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में पिण्डारी से नागराज टोला सम्पर्क मार्ग किमी0-1 में बिच्छी नदी पर 5 सेतु (5X5 मी 0) स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य।	27.60	274.39	108.10	29.10	137.20
16	901, दि0 03.03.2022	मीरजापुर	जनपद मीरजापुर में बेलहरा मोड़ से रामपुर ठाकुर दयाल मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0- 1 में गोडटुटवा नाले पर क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 3 सेल 4X4 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट , पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	12.00	71.59	45.12	12.15	57.27
17	902, दि0 03.03.2022	मीरजापुर	जनपद मीरजापुर में देवरी उत्तर मार्ग के किमी0-1 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 3 सेल 4X4 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट , पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	12.00	72.90	45.95	12.37	58.32
18	896, दि0 03.03.2022	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में ग्राम हसनपुर डगरा गांगी नदी पर लघु सेतु एवं पहुच मार्ग के निर्माण कार्य।	48.65	374.96	147.72	39.76	187.48
19	894, दि0 03.03.2022	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में सनेहुआ से चरयां होते हुए रामपुर दुधौरा तक सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	12.00	49.60	31.26	8.42	39.68
20	895, दि0 03.03.2022	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा मार्ग रेवतीपुर टौंगा सम्पर्क मार्ग पर 4x4 मी 0 के दो सेल बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	9.00	51.57	32.51	8.75	41.26
21	803, दि0 07.03.2022	उन्नाव	जनपद उन्नाव में ग्राम-मिर्जापुर अजिगांव तथा महबूब खेड़ा के मध्य सई नदी पर 3X18 मी 0 स्पान के नवीन सेतु , पहुंच मार्ग , अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	55.73	499.96	196.96	53.02	249.98
22	881, दि0 28.02.2022	कुशीनगर	कप्तानगंज पिपराईच कि 0 मी 08 से बड़हरा अमडीहा भलुही कि0मी0 2 में 2 गुणे 5 मीटर स्पान लघु सेतु का निर्माण कार्य।	11.60	84.58	53.31	14.35	67.66
23	161, दि0 03.03.2022	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में मैनपुरी बिछिया जौराई सहन मार्ग पर भैरों मंदिर के सामने खर्रा नाला पर आर0सी0 सी 0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	7.50	78.21	49.30	13.27	62.57
24	800, दि0	हरदोई	मढिपाई सम्पर्क मार्ग किमी0 2 में	10 मी0 दोनों	104.51	65.88	17.73	83.61

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में) एवं स्पान विवरण	लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03.03.2022		(गुरुद्वारा के सामने) पुलिया का निर्माण कार्य	ओर 20 मी0 लम्बाई में				
25	797, दि0 03.03.2022	हरदोई	सण्डीला अतरौली भटपुर मार्ग के किमी0 11 से ढिकुन्नी मार्ग पर 3×6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 लघु सेतु।	6×3 मी0 स्पान	148.19	93.41	25.14	118.55
26	788, दि0 28.02.2022	हरदोई	साण्डी बाघौली मार्ग से हड़हा सम्पर्क मार्ग पर 3×10 मी0 स्पान की बाक्स टाइप लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	3×10.00	188.20	118.63	31.93	150.56
27	164, दि0 03.03.2022	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर नकुड़ गंगोह थानाभवन (प्र 0 जि 0 मा 0) मार्ग के - किमी- 62 में 62/3 क्षतिग्रस्त , संकरी एवं डॉट पुलिया के स्थान पर 2/65/0 बॉक्स कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	13.75	141.62	89.27	24.03	113.30
28	911, दि0 07.03.2022	जौनपुर	मियॉचक से चन्द्रभानपुर के पास नाले पर पुलिया निर्माण।	9.25	39.72	25.04	6.74	31.78
29	910, दि0 07.03.2022	जौनपुर	बेलवा बाजार में घोडसाल नाला पर पुलिया निर्माण कार्य।	17.95	83.95	52.92	14.24	67.16
30	151, दि0 28.02.2022	शाहजहांपुर	पुवायॉ बण्डा मार्ग (एन 0 एच 0-431 के) के किमी 61 से बेला जगनिया सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया 4X6 मी स्पान की पुलिया पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग।	20.40	416.82	164.21	44.20	208.41
31	169, दि0 07.03.2022	शाहजहांपुर	हथनी नगरिया से औला तक सम्पर्क मार्ग, आर0सी0सी0 लघु सेतु, एप्रोच रोड एवं पुनर्निर्माण का कार्य।	20.40	487.72	192.14	51.72	243.86
32	163, दि0 03.03.2022	मुजफ्फर नगर	जनपद मुजफ्फरनगर में कैराना खतौली मोरना मार्ग के किमी0-52 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1 x8 मी0 स्पान की बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	8.00	72.83	45.90	12.36	58.26
33	909, दि0 07.03.2022	सोनभद्र	हिनौती देवगढ़ से भटिहवॉ सम्पर्क मार्ग के किमी 01 चेनेज 0.10 में 0.05 मी मार्ग 4 सेल 2X2 बाक्स कल्वर्ट एवं 30 मी0 दोनों साइड में बिंग वाल का निर्माण।	16.00	33.37	21.04	5.66	26.70
34	790, दि0 28.02.2022	फतेहपुर	गढ़ाकोट मार्ग से मलूकबारी सम्पर्क मार्ग पर बदनमऊ एवं मुज्जफरपुर के मध्य ससुर खदेरी नदी पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	40.00	271.65	107.02	28.81	135.83
35	799, दि0 03.03.2022	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में ग्राम लोहारी से महेवा के मध्य छॉप नाले पर 3X5 मीटर	17.40	216.53	85.31	22.96	108.27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में) एवं स्पान विवरण	लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			स्पान का लघु सेतु , सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुँच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।					
			योग		6545.72	3134.28	843.72	3978.00

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नाबार्ड शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) विभाग द्वारा वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2022-231/2022, दिनांक- 04 नवम्बर, 2022 **में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।**

(16) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(17) **प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा** नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(19) मार्ग सुरक्षा के प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाये।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्य का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 31,34,28,000 (रुपये इकतीस करोड़ चौंतीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013600 प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 8,43,72,000 (रुपये आठ करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892100 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-327-X-2022-23-दिनांक:12-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या उपरोक्त तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2

11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।